

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4014]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2019/अग्रहायण 25, 1941

No. 4014]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2019/AGRAHAYANA 25, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4471(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश. 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है. अर्थात:-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना (छठा संशोधन) आदेश, 2019 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 (जिसे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 3 के उप-खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:
 - "(3) उप खंड (2) में अंतर्विष्ट कोई भी बात –
 - (क) राज्य के बाहर किसी स्थान पर चीनी, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के परिवहन, वितरण और बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी;
 - (ख) विनिर्दिष्ट वस्तुओं (इस आदेश के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट), जिनमें व्युत्पन्न व्यापार की अनुज्ञेय है और जिन्हें एक्सचेंज प्लेटफार्मों को सुपुर्द किए जाने के लिए डेरिवेटिव एक्सचेंजों द्वारा प्रत्यायित और

6433 GI/2019 (1)

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत भांडागारों में रखा जाता है, पर लागू नहीं होगी और यह छट तब तक अनुमेय होगी जब तक कि इन शर्तों को पूरा किया जाता रहेगा।"

3. उक्त आदेश में खंड 4 में, अंक, अक्षर और शब्द "17 जून, 1978" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "9 जून, 1978" रखा जाएगा।

[फा. सं. एस-10/4/2014-ईसीआरएंडई]

अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात उसमें – का.आ. 3341(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2016, का.आ. 1288(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2017, का.आ. 1600(अ), तारीख 17 मई, 2017, का.आ. 2785(अ), तारीख 25 अगस्त, 2017, का.आ. 3136(अ), तारीख 27 सितंबर, 2017, का.आ. 3397(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017, का.आ. 3422(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2017, का.आ. 4079(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2017, का.आ. 2414(अ), तारीख 13 जून, 2018, का.आ. 2826(अ), तारीख 6 अगस्त, 2019 का.आ. 3540(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2019, का.आ. 4298(अ), तारीख 28 नवंबर, 2019, का.आ. 4341(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2019 और का.आ. 4417(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 16th December, 2019

S.O. 4471(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:–

1. Short Title and Commencement-

- (1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Sixth Amendment) Order, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), for sub-clause (3) of clause 3, the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(3) Nothing contained in sub-clause (2) shall -
 - (a) affect the transport, distribution or disposal of sugar, edible oils and edible oilseeds to places outside the State;
 - (b) apply to the stock of specified commodities (specified by the Central Government for the purpose of this order), in which derivatives trading is permissible and kept in warehouses accredited by a commodity derivatives exchange and registered with the Warehouses Development and Regulatory Authority for delivery on exchange platforms and this exemption shall be available as long as these conditions are fulfilled.".
- 3. In the said order, in clause 4, for the figures, letters and word "17th June, 1978", the figures, letters and word "9th June, 1978" shall be substituted.

[F. No. S-10/4/2014-ECR&E]

A. K. CHOUDHARY, Economic Adviser

Foot Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended *vide* numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017, S.O. 2785 (E), dated the 25th August, 2017, S.O. 3136(E), dated the 27th September, 2017, S.O. 3397(E), dated the 23rd October, 2017, S.O. 3422(E), dated the 25th October, 2017, S.O. 4079(E), dated the 27th December, 2017, S.O. 2414(E), dated the 13th June, 2018, S.O. 2826(E), dated the 6th August, 2019, S.O. 3540(E), dated the 29th September, 2019, S.O. 4298(E), dated the 28th November, 2019, S.O. 4341(E), dated the 3rd December, 2019 and S.O. 4417(E), dated the 10th December, 2019.